

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2023/ 4728
प्रार्थी

पीठासीन अधिकारी-श्री रामदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 21/10/28

1 अखसिंह पुत्र
पूनमसिंह जाति राजपूत
निवासी बांकवलसर
महाबार तहसील व
जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 टीलसिंह पुत्र जवरसिंह 2 भीखो पत्नी जवरसिंह 3
सुरतानसिंह पुत्र जवरसिंह जाति 4 आसू पुत्र रेखाराम 5
खेताराम पुत्र रतनाराम 6 खूमाराम पुत्र रेखाराम 7 गोरधनलाल
पुत्र शंकरलाल 8 तुलछाराम 9 ताजाराम 10 दीपाराम पिसरान
रेखाराम 11 धर्मराम पुत्र शंकरलाल 12 भोमाराम पुत्र रतनाराम
13 हउवादेवी पत्नी शंकरलाल जाति सुथार 14 आसूसिंह पुत्र
खीमसिंह 15 चम्पाकंवर पत्नी भीखसिंह 16 कवरो पत्नी पूरसिंह
17 नखतसिंह 18 बाबूसिंह 19 हरीसिंह पिसरान पूरसिंह 20
देवीसिंह पुत्र पुनमसिंह 21 उगमसिंह पुत्र देवीसिंह 22
कमलसिंह पुत्र गेमरसिंह 23 छोगसिंह पुत्र देवीसिंह 24 नेनूकंवर
पत्नी देवीसिंह 25 हरखसिंह 26 हरजीसिंह 27 होथीसिंह
पिसरान गेमरसिंह 28 कुशलसिंह 29 जोगराजसिंह 30 मलसिंह
31 सगतसिंह पिसरान हेमसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार
तहसील व जिला बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 58/2023

दिनांक- 4/10/28

16/10/22

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण प्रार्थी मौजा करनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 2326/299 रकबा 9.1135 हैक्टेयर, खसरा संख्या 301 रकबा 0.1376 हैक्टेयर व
खसरा संख्या 2329/304 रकबा 3.1808 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित
की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 21/10/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 4729-32
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. अखसिंह पुत्र पूनमसिंह जाति राजपूत निवासी बांकवलसर महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी टीलसिंह पुत्र जवरसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी महाबार तहसील व जिला
बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर